न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/33

दायरा दिनांक : 23.02.2022

उनवान

हेमराज आत्मज स्व0 गोरधन जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. बीरबल आत्मज स्व0 राम किशन जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी, तहसील बारां, जिला बारां
2. जगन्नाथी पत्नी स्व0 राम किशन जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी, तहसील बारां, जिला बारां
3. कान्तीबाई पत्नी स्व0 रामपाल जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी, तहसील बारां, जिला बारां
4. भीमराज आत्मज स्व0 गोरधन जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी, तहसील बारां, जिला बारां
5. चौथमल आत्मज स्व0 छीतरलाल जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी, तहसील बारां, जिला बारां
6. बाबूलाल आत्मज स्व0 छीतरलाल जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी, तहसील बारां, जिला बारा
7. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा, जिला कोटा

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3, 5 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 04.09.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 172/2010/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी

4-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधिनियम 1955 एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम माल बरानी, तहसील बारां में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व प्रतिवादी कम 3 ता 6 के पिता के शामलाती खाते में आराजी खाता संख्या 27 में सेटलमेंट से पूर्व संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नं. 10 रकबा 28 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 64 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 163 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 202 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 217 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 219 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 230 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 272 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 280 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 383 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 385 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 217/401 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 207/403 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 103 बीघा 9 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2021 से रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कानून, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गतधारा 88, 89, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमा कर ग्राम बरानी तहसील बारां जिला बारां की खसरा नं. 337 रकबा 0.32 हेक्टर व खसरा नं. 26/651 रकबा 1.60 हेक्टर यानि कि 10 बीघा पूर्वी तरफ की भूमि का वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 को खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने का तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी किये जाने का निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत रूप से सूचना दिये बिना ही सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित किया है जो त्रुटि पूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी नं. 1 रामपाल आत्मज जगन्नाथ की दौराने दावा दिनांक 12.06.2018 को मृत्यु हो गयी थी। खातेदार रामपाल व उनकी पत्नि श्रीमती कान्तीबाई के कोई जायन्दा सन्तान नहीं थी। रामपाल की निसंतान मृत्यु हुई थी। खातेदार रामपाल ने अपीलांट के पक्ष में दिनांक 07.05.2018 को गवाहान की उपस्थिति में सगा भतीजा होने से अपीलांट हेमराज के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया था। इस वसीयतनामे के जरिये वसीयतकर्ता ने उसके खाते व कब्जे की खसरा नं. 337 रकबा 032 हेक्टर भूमि वाके ग्राम बरानी, तहसील बारां की कृषि आराजी के संबंध में प्रतिवादी अपीलांट को

5-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया था। मृतक खातेदार रामपाल का वसीयती उत्तराधिकारी होने से अपीलांट कानूनन उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया है। प्रतिवादी अपीलांट उपरोक्त आराजी पर वैधानिक रूप से काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज है। अपीलांट का उपरोक्त भूमि में हित निहित है निर्णय व डिक्री जैर अपील से अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। दिनांक 29.06.2018 को कान्तीबाई प्रतिवादी नं. 1/1 एवं रेस्पोडेंट नं. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वह मृतक रामपाल की पत्नी होने से उसकी प्राकृतिक उत्तराधिकारी है एवं प्रतिवादी नं. 1 का खसरा नं. 337 रकबा 0.32 हेक्टर भूमि का अपीलांट हेमराज वसीयती उत्तराधिकारी होने से विधिक वारिस होने से उन्हें रेकार्ड पर लिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में कुल 7 व्यक्ति बतौर प्रतिवादी पक्षकार थे। राजीनामा केवल वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1/1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, शेष प्रतिवादीगण द्वारा कोई राजीनामा नहीं किया गया। रामपाल (प्रतिवादी नं.1), कान्तीबाई अपीलांट एवं दीगर पक्षकारान जाति मीणा है, मीणा जाति राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सम्पत्ति में सीमित अधिकार होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2021 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.02.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री कर दिया। राजीनामा वादीगण व रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 व कान्तिबाई के मध्य हुआ है। हेमराज प्रतिवादी सं. 4 था। अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 18.11.2021 में बीरबल, कान्तिबाई, रामेश्वर मीणा के हस्ताक्षर हैं जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार

4-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं थे। राजीनामा केवल बीरबल व कान्तिबाई के द्वारा किया गया है। हेमराज एक्सपार्टी नहीं था। हमने जवाबदावा पेश किया था। राजीनामा सभी पक्षकारों के द्वारा ही हो सकता है। आराजी की मेरे पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत है । यह वसीयत प्रभावी रहते इन्हें राजीनामे का अधिकार नहीं है। खातेदार की मृत्यु हो चुकी है। उसकी पत्नी को रजिस्टर्ड वसीयत के होते हुए रारजीनामे का कोई अधिकार नहीं है। राजीनामे के सम्बन्ध में प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 848, 2020 (1) आर.आर.टी. पेज 271, 2017 (1) आर. आर.टी. पेज 446, की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रामकिशन के खाते कम आराजी आयी। रामकिशन व रामपाल के मध्य विवाद हुआ। हेमराज की भी अपील खारिज हो गई। रामपाल की पत्नी व रामकिशन के मध्य राजीनामा होने से दिनांक 26.11.2021 को वाद डिक्री हो गया। सन् 2011 में सभी अन्य पक्षकार एक्स पार्टी हो चुके थे इसलिए राजीनामे में अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। वसीयत की प्रति रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की। अपीलांट के पास कोई आधार नहीं है। अपील मीमों के तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री सही है। अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वादी कम 1 बीरबल तथा प्रतिवादी कम 1/1 कांति बाई के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में डिक्री पारित की गयी। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि श्रीमती कांतिबाई बेवा स्वर्गीय रामपाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.09.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 22

4-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नियम 10 सी. पी. सी. पेश किया गया जिसमें बिन्दु संख्या 2 में रामपाल की मृत्यु होने की जानकारी दी गई तथा बिन्दु सं. 3 में कथन किया गया "यह कि मृतक रामपाल ने अपने जीवनकाल में अपने खाते की आराजी खाता संख्या 131 के खसरा नं. 337 क्षेत्र 0.32 हेक्टर वाके माल बरानी की वसीयतनामा दिनांक 07.05.2018 को पंजीयन करवा कर हेमराज को अपना वसीयति उत्तराधिकारी घोषित कर दिया हेमराज उक्त वाद में प्रतिवादी कम 4 है।"

उक्त प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट होता है कि कांति बाई अपीलांट के पक्ष में खसरा सं. 337 रकबा 0.32 हेक्टर की रजिस्टर्ड वसीयत को स्वीकार करती है। चूंकि उक्त वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत है जिसके प्रभाव में रहते हुए खसरा नं. 337 के संबंध में राजीनामा करने का अधिकार कान्तिबाई को नहीं था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु होने पर ही उसकी सम्पत्ति उत्तराधिकार के कम में उत्तराधिकारियों को न्यागत होगी। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में रामपाल की मृत्यु निर्वसीयत नहीं हुई। अतः उक्त खसरा सं. 337 रकबा 0.32 हेक्टर की स्वामिनी कांतिबाई नहीं होने से उसे राजीनामा करने का कोई अधिकार नहीं था। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध तथा त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2021 खसरा नं. 337 रकबा 0.32 हेक्टर की सीमा तक अपास्त किया जाता है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा नं. 337 रकबा 0.32 हेक्टर के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए तथा उक्त वसीयत एवं गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.11.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा